न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामी

केस संख्या :- 231 / 2020

हिस्सा 1/48 तथा हरसहाय पुत्र काना का हिस्सा 1/48 त
कैलाश पुत्र काना का हिस्सा 1/48 तथा रामावतार पुत्र काना व
हिस्सा 1/48 हक व हिस्सों के स्थान पर वादी संख्या 1 व
हिस्सा 1/32 वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/32 वादी संख्या 3 व
हिस्सा 1/32 वादी संख्या 4 का हिस्सा 1/32, वादी संख्या 5 व
हिस्सा 1/16 वादी संख्या 6 का हिस्सा 1/16 हक व हिस्सा का
छीतर पुत्र रामकुंवार का हिस्सा 1/24 तथा बद्री पुत्र रामकुंवार व
हिस्सा 1/24 ग्यारसीलाल पुत्र रामकुंवार का हिस्सा 1/
छोगालाल पुत्र जगदीश का हिस्सा 1/48 हनुमान पुत्र जगदीश
हिस्सा 1/48, लक्ष्मण पुत्र जगदीश का हिस्सा 1/48, हरिनाराय
पुत्र काना का हिस्सा 1/64, हरसहाय पुत्र काना का हिस्सा 1/
कैलाश पुत्र काना का हिस्सा 1/64 रामावतार पुत्र काना व
हिस्सा 1/64 राजस्व रिकॉर्ड म हिस्सा दुरस्ती इन्द्राज फरमा
जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना बता
है।

प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि बिन्दू संख
एक स्वीकार है। बिन्दू संख्या दो स्वीकार है। बिन्दू संख्या ती
आशिक स्वीकार है। सम्वत् 2053 की खतोनी जमाबन्दी में कल्या
रामजीलाल पि. नानगा व छीतर, बद्री, रामेश्वर, ग्यारसीलाल
रामकुंवार, काना, जगदीश पि. श्रवण हिस्सा 1/2 वगैरहा
बदस्तुर दर्ज है। बिन्दू संख्या चार आंशिक स्वीकार है। कल्याण
विरासत दर्ज करते वक्त ज्याना बेवा कल्याण हिस्सा 1/48, राम
कैलाशचन्द, रामप्रसाद पि. कल्याण हिस्सा 1/16 हि. दर्ज कि
गया है। क्योंकि खाते में कल्याण का स्पष्ट हक/ हिस्सा दर्ज न
होने से कल्याण, रामजीलाल पि. नानगा व छीतर, बद्री, रामेश्
ग्यारसीलाल पि. रामकुंवार काना जगदीश पि. श्रवण हिस्सा 1/
दर्ज रिकार्ड अनुसार छटनी की गई है। प्रकरण में साबिक रिक
अनुसार खाता संख्या 38 सम्वत् 2008 से 2023 में पक्षकारान
नाम श्रवण व रामकुंवार पिसरान नाथा व नानगा वल्द गांगू ब
बराबर हि. 1/2 दर्ज रिकार्ड था अर्थात श्रवण रामकुंवार पि. न
हि. 1/4 नानगा वल्द गांगू हि. 1/4 हक/हिस्सा बनता है
एकीकरण खतोनी सम्वत् 2021 के खाता संख्या 106 अनु
पक्षकारान के नाम रामकुंवार पुत्र नाथू काना जगदीश पि. श्र
नानगा पुत्र गांगू हि. 1/2 दर्ज है अर्थात रामकुवार पुत्र नाथ
1/8 काना जगदीश पि. श्रवण हि. 1/8 नानगा पुत्र गाग
1/4 हक/हिस्सा बनता है। अतः साबिक रिकार्ड अनुसार कल
का हक / हिस्सा 1/8 बनना चाहिए तदानुसार विरासत में ज
बेवा कल्याण हि. 1/32 रामधन कैलाशचन्द रामप्रसाद पि. कल
3/32 दर्ज होना चाहिए था। बिन्दू संख्या पांच वादी से सं
है। बिन्दू संख्या छः वर्तमान में जमाबन्दी खाता संख्या 71 में
खातेदारान का हक/हिस्सा साबिक रिकार्ड अनुसार नवीन अं
ज्याना बेवा कल्याण हि. 1/48 के स्थान हि. 1/32 व रा
कैलाशचन्द रामप्रसाद पि. कल्याण हि. 3/48 के स्थान पर
3/32, शांति पत्नि रामजीलाल हि. 1/24 के स्थान पर हि. 1

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 231 / 2020

सत्यनारायण पुत्र रामजीलाल हि. 1/24 के स्थान पर हि. 1/16 कैलाश, रामावतार, हरसहाय, हरिनारायण पि. काना हि. 4/48 के स्थान पर हि. 4/64, छोगालाल, लक्ष्मण, हनुमान पि. जगदीश हि. 3/36 के स्थान पर हि. 3/48 तथा बद्री पुत्र रामकुंवार हि. 4/96 के स्थान 1/32, ग्यारसीलाल, छीतर पि. रामकुंवार हि. 12/96 के स्थान हि. 6/64 दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है तथा खाते में शेष दर्ज हिस्से दार पूर्ववत हिस्सा अनुसार ही है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने पर हम पाते है कि वही साक्ष्यवादी हाजिर। जिरह हेतु हाजिर नही। प्रतिवादी साक्ष्य बन्द।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वादी के शपथ पत्र एवं साक्ष्यवादी एवं जवाब सरकार के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है नवीन हिस्सों के अनुसार नवीन अंकन ज्याना बेवा कल्याण हि. 1/48 के स्थान हि. 1/32 व रामधन कैलाशचन्द रामप्रसाद पि. कल्याण हि. 3/48 के स्थान पर हि. 3/32, शांति पत्नि रामजीलाल हि. 1/24 के स्थान पर हि. 1/16, सत्यनारायण पुत्र रामजीलाल हि. 1/24 के स्थान पर हि. 1/16 कैलाश, रामावतार, हरसहाय, हरिनारायण पि. काना हि. 4/48 के स्थान पर हि. 4/64, छोगालाल, लक्ष्मण, हनुमान पि. जगदीश हि. 3/36 के स्थान पर हि. 3/48 तथा बद्री पुत्र रामकुंवार हि. 4/96 के स्थान 1/32, ग्यारसीलाल, छीतर पि. रामकुंवार हि. 12/96 के स्थान हि. 6/64 सहखातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)